

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 455

दिनांक 05.12.2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध के मामले

1455. श्री जुएल ओराम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई राज्य-वार समीक्षा की गई है; और
- (घ) यदि हां, तो साइबर अपराधों की बढ़ती दर को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क)से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को उनके प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से उनकी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता संवर्धन में सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

- ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्यवाहियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऑनबोर्ड करके साइबर अपराध संकेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/ बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर, पूरे देश को कवर करते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम, और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। 2023 में जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।
- iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच में राज्यों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) ने राज्य एलईए को लगभग 8840 साइबर फॉरेंसिक जैसे कि मोबाइल फॉरेंसिक, मेमोरी फॉरेंसिक, सीडीआर विश्लेषण आदि में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।
- iv. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (<https://cybercrime.gov.in>) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

- v. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक 3.80 लाख से अधिक शिकायतों में 930 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।
- vi. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेशन के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)" प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 72,800 से अधिक पुलिस अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 50,000 से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
- vii. अब तक पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 2.45 लाख से अधिक सिम कार्ड और 42,000 आईएमईआईएस को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।
- viii. आई4सी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 5,600 अधिकारियों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है।
- ix. आई4सी ने 17000 से अधिक एनसीसी कैडेटों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है।
- x. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और साथ ही विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' नामक स्कीम के

तहत 122.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब तक, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। अब तक, 24,600 से अधिक विधि प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) के कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध संबंधी जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

- xi. राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्य) की स्थापना हैदराबाद में की गई है। इस प्रयोगशाला की स्थापना से साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्य के मामलों, साक्ष्य के संरक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इसका विश्लेषण करने में सहायता मिलती है और इससे टर्नअराउंड समय भी कम हुआ है।
- xii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@Cyberdost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberdostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो कैंपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, माईगवको कई माध्यमों से प्रचार हेतु उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना आदि शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी प्रचार द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए अनुरोध किया गया है।
